

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4080
17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत
हाई-स्पीड चार्जिंग स्टेशन

4080. श्रीमती शांभवी:

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

श्री राजेश वर्मा:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

डॉ. लता वानखेड़े:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने फरवरी 2026 तक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्वीकृत 2,000 हाई-स्पीड चार्जिंग स्टेशनों के स्थानों को अंतिम रूप दे दिया है;
- (ख) क्या सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में उक्त चार्जिंग की स्थापना के लिए शत-प्रतिशत पूंजीगत अनुदान प्रदान कर रही है;
- (ग) क्या उक्त चार्जिंग स्टेशनों को सभी विद्युत वाहन ब्रांडों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए "ओपन चार्जिंग प्वाइंट प्रोटोकॉल" (ओसीपीपी) से लैस किया जा रहा है;
- (घ) क्या सरकार उक्त हाई-स्पीड चार्जिंग हबों के लिए समर्पित हरित ऊर्जा फीडर सुनिश्चित करने हेतु विद्युत विभागों के साथ सहयोग कर रही है;
- (ङ) क्या इस अवसंरचना के विस्तार के परिणामस्वरूप लंबी दूरी के विद्युत चालित भारी वाहनों तथा यात्री कारों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और
- (च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): 12.03.2026 तक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाई-स्पीड चार्जिंग स्टेशनों के लिए ऐसे किसी भी स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है या स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख): जी नहीं।

(ग): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत लागू चार्जिंग मानक निम्नलिखित हैं:

खंड	चार्जिंग मानक
ई-दुपहिया / ई-तिपहिया	लाइट ईवी डीसी (आईएस-17017-2-6)
	लाइट ईवी एसी/डीसी कॉम्बो (आईएस-17017-2-7)
ई-चौपहिया और ई-बस / ई-ट्रक	सीसीएस-II (आईएस-17017-2-3)
ई-बस / ई-ट्रक	सीसीएस-II (आईएस-17017-2-3)

(घ): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च): इस संबंध में आकलन हेतु एमएचआई द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।
